

Ministry of Finance
Department of Expenditure
Office of the Controller General of Accounts
New Delhi

List of Major and Minor Heads of Account of Union and States

Correction Slip No. 845

Dated: 19-06-2017

Page No. i (Reprint of Fourth Edition)

Receipts Heads (Revenue Account)

Sector: A. Tax Revenue

(i) Insert new sub-sector and new Major Heads as under:

(a) Goods and Services Tax

0005 Central Goods and Services Tax (CGST)	Page 1
0006 State Goods and Services Tax (SGST)	Page 1
0007 Union Territory Goods and Services Tax (UTGST)	Page 1
0008 Integrated Goods and Services Tax (IGST)	Page 1

(ii) Rearrange the number of existing sub-sectors (a), (b) & (c) and rename the existing sub-sector (c) Taxes on Commodities and Services as follows:

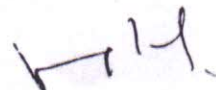
(b) Taxes on Income and Expenditure

(c) Taxes on Property, Capital and other transactions

(d) Taxes on Commodities and Services other than Goods and Services Tax

(Effective from 2017-18)

(Authority T-14018/09/2015/GST/Code)



(Vinay Singhal)

Sr. Accounts Officer (Code s)

Form GSTR-7

[See rule 66 (1)]

Return for Tax Deducted at Source

Year				
Month				

1.	GSTIN																		
2.	(a) Legal name of the Deductor	Auto Populated																	
	(b) Trade name, if any	Auto Populated																	

3. Details of the tax deducted at source

(Amount in Rs. for all Tables)

GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	Amount of tax deducted at source		
		Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5

4. Amendments to details of tax deducted at source in respect of any earlier tax period

Original details			Revised details				
Month	GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	GSTIN of deductee	Amount paid to deductee on which tax is deducted	Amount of tax deducted at source		
					Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Tax deduction at source and paid

Description	Amount of tax deducted	Amount paid
1	2	3
(a) Integrated Tax		
(b) Central Tax		
(c) State/UT Tax		

6. Interest, late Fee payable and paid

Description	Amount payable	Amount paid
1	2	3
(l) Interest on account of TDS in respect of		
(i) Integrated tax		
(b) Central Tax		

(c) State/UT Tax		
(II) Late fee		
(a) Central tax		
(b) State / UT tax		

7. Refund claimed from electronic cash ledger

Description	Tax	Interest	Penalty	Fee	Other	Debit Entry Nos.
1	2	3	4	5	6	7
(a) Integrated Tax						
(b) Central Tax						
(c) State/UT Tax						
Bank Account Details (Drop Down)						

8. Debit entries in electronic cash ledger for TDS/interest payment [to be populated after payment of tax and submissions of return]

Description	Tax paid in cash	Interest	Late fee
1	2	3	4
(a) Integrated Tax			
(b) Central Tax			
(c) State/UT Tax			

Verification

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorised Signatory

Place:

Name of Authorised Signatory

Date:

Designation /Status

Form GST PMT -06

[See rule 87(2)]

Challan for deposit of goods and services tax

CPIN	<<Auto Generated after submission of information>>	Date <<Current date>>	Challan Expiry Date --
------	--	-----------------------	------------------------

GSTIN	<<Filled in/Auto populated>>	Email address	<<Auto Populated>>
Name (Legal)	<<Auto Populated>>	Mobile No.	<<Auto Populated>>
Address	<<Auto Populated>>		

Government		Details of Deposit (All Amount in Rs.)					
Major Head		Tax	Interest	Penalty	Fee	Others	Total
Government of India	Central Tax (---)						
	Integrated Tax (---)						
	CESS (---)						
	Sub-Total						
	State (Name)	State Tax (---)					
UT (Name)	UT Tax						
	(---)						
Total Challan Amount							
Total Amount in words							

Mode of Payment (relevant part will become active when the particular mode is selected)

☐ e-Payment

(This will include all modes of e-payment such as CC/DC and net banking. Taxpayer will choose one of this)

☐ Over the Counter (OTC)

Bank (Where cash or instrument is proposed to be deposited)

Details of Instrument

☐ Cash ☐ Cheque ☐ Demand Draft☐ NEFT/RTGS

Remitting bank	
Beneficiary name	GST
Beneficiary Account Number (CPIN)	<CPIN>
Name of beneficiary bank	Reserve Bank of India
Beneficiary Bank's Indian Financial System Code (IFSC)	IFSC of RBI
Amount	

Note: Charges to be separately paid by the person making payment.

Particulars of depositor	
Name	
Designation/ Status (Manager, partner etc.)	
Signature	
Date	
Paid Challan Information	
GSTIN	

Taxpayer Name	
Name of Bank	
Amount	
Bank Reference No. (BRN)/UTR	
CIN	
Payment Date	
Bank Ack. No. (For Cheque / DD deposited at Bank's counter)	

Note - UTR stands for Unique Transaction Number for NeFT / RTGS payment.

विषय:-

माल और सेवा कर (GST) अधिनियम, 2017 के उपबंधों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती एवं इस हेतु सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकारियों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

1. स्रोत पर कर की कटौती के प्रावधान CGST अधिनियम, 2017 व उत्तराखण्ड SGST अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा IGST अधिनियम की धारा 20 के प्रथम परन्तुक में किये गये हैं, जिनके अनुसार ऐसे भुगतानों में से जहां किसी संविदा के अधीन आपूर्ति की गयी वस्तुओं या सेवाओं (या दोनों) का कुल मूल्य (करों एवं उपकरों को छोड़ते हुए) दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक हो, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर कर की कटौती की जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 51 के प्रावधानों को स्थगित किए जाने का निर्णय लिया गया है तथा यह प्रावधान उस तिथि से लागू होंगे जो कि इस हेतु सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।
2. राज्य के अन्तर्गत हुई कराधेय माल या सेवा की आपूर्ति पर उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उपधारा (1) एवं केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 51 की उपधारा (1) के अनुसार वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के एक प्रतिशत की दर से SGST व एक प्रतिशत की दर से CGST की कटौती की जाएगी, किन्तु राज्य के बाहर से हुई माल या सेवाओं की आपूर्ति की स्थिति में कटौतीकर्ता, ऐसे अन्तर्राज्यीय आपूर्तिकर्ता को भुगतान या क्रेडिट करते समय दो प्रतिशत की दर से IGST की कटौती करेंगे। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि आपूर्तिकर्ता की अवस्थिति और आपूर्ति का स्थान का राज्य प्राप्तकर्ता के राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र, जहां प्राप्तकर्ता के द्वारा पंजीयन प्राप्त किया गया है, से भिन्न है। ऐसी दशा में आपूर्तिकर्ता से कर की कोई कटौती नहीं की जाएगी।
3. धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति नियम 66(1) के अनुसार प्ररूप **GSTR-7** में इलैक्ट्रॉनिक विधि से अगले माह की 10 तारीख तक मासिक विवरणी दाखिल करेगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रस्तर 2 के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने वाले व्यक्ति (कटौतीकर्ता) द्वारा अगले माह की 10 तारीख तक, कटौती की गई धनराशि को सरकार के पक्ष में विहित रीति से जमा किया जाएगा व धारा 51(3) के अनुसार कटौती की गई धनराशि जमा करने के 5 दिन के भीतर कटौतीकर्ता द्वारा कटौती की गयी धनराशि के सम्बन्ध में सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता को नियम 66(1) के अनुसार दाखिल विवरणी के आधार पर निर्धारित प्रपत्र **GSTR-7A** पर प्रमाण पत्र इलैक्ट्रॉनिक विधि से उपलब्ध कराया जाएगा।
4. उपरोक्त प्रस्तर 3 के अनुसार आपूर्तिकर्ता को निर्धारित समय तक प्रमाण पत्र उपलब्ध न करवाने की स्थिति में कटौतीकर्ता प्रतिदिन 100 रुपये की दर से (अधिकतम पांच हजार रुपये) विलम्ब शुल्क का भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त धारा 51(6) के अनुसार यदि कोई कटौतीकर्ता, कटौती की गई कर की धनराशि को सरकार के पक्ष में जमा करने में असफल रहता है तो उसे काटी गयी राशि के जमा करने के अतिरिक्त धारा 50(1) के उपबन्धों के अनुरूप 18 प्रतिशत ब्याज का भुगतान भी करना पड़ेगा।
5. कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती (TDS) की धनराशि को इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, या अधिकृत बैंक शाखाओं में OTC (over the counter payment) के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी0एस0टी0के पोर्टल पर प्रपत्र GST PMT-06 में तैयार किया जायेगा, जिसमें SGST, CGST व IGST की राशि अलग-अलग अंकित की जायेंगी।

6. GST अधिनियमों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती की व्यवस्था राज्य सरकार के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों पर लागू होगी। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि GSTसम्बन्धी समस्त संव्यवहार (transactions) GSTके कॉमन पोर्टल (www.gst.gov.in)पर होंगे। अतः इस व्यवस्था में समस्त कटौतीकर्ताओं (आहरण वितरण अधिकारियों) को GST पोर्टल पर "As Tax Deductor" पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।
7. माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 24 के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्हें इस अधिनियम की धारा 51 के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित हो, चाहे वह इस अधिनियम के अधीन पृथक् रूप से पंजीकृत हो या नहीं, को इस अधिनियम के अधीन अनिवार्यतः पंजीकरण लिया जाना अपेक्षित होगा।
8. पंजीकरण हेतु वही आहरण वितरण अधिकारी पात्र होंगे, जिन्हें आयकर विभाग द्वारा निर्गत PANअथवा TAN प्राप्त हो। पंजीकरण हेतु आवेदन GST REG-07प्रपत्र पर GSTNके पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जायेगा। आवेदन पत्र प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सम्यक सत्यापन के उपरान्त उचित अधिकारी द्वारा ऐसे आवेदन के सापेक्ष पंजीकरण या विशिष्ट पहचान संख्या प्रदान की जायेगी। यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण के समय दी गई सूचनाओं में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के 15 दिनों के भीतर पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आवश्यक संशोधनों हेतु प्रारूप GST REG-14पर इलेक्ट्रॉनिक विधि से आवेदन किया जाएगा।
9. जैसा कि बिन्दु संख्या 3 में ऊपर उल्लिखित किया गया है SGSTवCGSTअधिनियमों की धारा 39(3) के अनुसार, धारा 51 के उपबन्धों के अधीन स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति (कटौतीकर्ता) द्वारा कर कटौती किये जाने के अगले माह की 10 तारीख तक इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रपत्रGSTR-7 में मासिक रिटर्नGSTपोर्टल के माध्यम से दाखिल किया जायेगा। यदि मासिक रिटर्न नियत तिथि तक दाखिल नहीं किया गया तो नियत तिथि के पश्चात रु0 100/-प्रतिदिन अधिकतम रु0 5000/- तक विलम्ब शुल्क भी जमा करना होगा। कटौतीकर्ता को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने का दायित्व नहीं है।
10. SGSTव CGST अधिनियमों की धारा 122(1)(v) में प्रावधान है कि यदि कटौतीकर्ता धारा 51 की उपधारा (1) की उपबन्धों के अनुसार कर कटौती में असफल रहता है या उक्त उपधारा के अधीन कटौती की अपेक्षित रकम से कम रकम की कटौती करता है या उपधारा (2) के अधीन सरकार को इस कटौती की गयी रकम को कर के रूप में संदाय (Payment)करने में असफल रहता है तो समतुल्य रकम या 10 हजार रुपये, जो भी अधिक हो, शास्ति के रूप में संदाय करने के लिये दायी होगा। यदि उचित अधिकारी द्वारा इस सम्बन्ध में कटौतीकर्ता के विरुद्ध कोई आदेश किया जाता है और वह आदेश से व्यथित है, तो वह इस संबंध में धारा 107 के अन्तर्गत अपील कर सकता है।
11. आहरण वितरण अधिकारी द्वारा जी0एस0टी0 के पोर्टल पर पंजीयन, रिटर्न तथा नोटिसों के उत्तर आदि से संबंधित समस्त कार्य स्वयं या कमिश्नर द्वारा अधिसूचित किसी "माल और सेवा कर व्यवसायी" (Facilitation Centre) के माध्यम से किये जा सकते हैं। उक्त कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्वयं करने की स्थिति में ऐसे विवरणों को digital signature certificate, e-signatureअथवा आधार आधारित electronic verification code (EVC)प्रणाली के माध्यम से प्रमाणित करना होगा। जो आहरण वितरण अधिकारी इस प्रकार के कार्य को किसी माल और सेवा कर व्यवसायी के माध्यम से करवाना चाहते हों वह इस हेतु उन्हें नियत विधि से अधिकृत करेंगे। इस व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत किसी विवरणी या फाईल किये गये अन्य

ब्यौरों के सही होने का उत्तरदायित्व उस कटौतीकर्ता पर होगा, जिसके निमित्त ऐसी विवरणी और ब्यौरे प्रस्तुत किये गये हैं।

12. IGSTके संबंध में भी रिटर्न, कर-जमा, अर्थदण्ड, विलम्ब शुल्क आदि के प्राविधान उपरोक्तानुसार ही लागू होंगे।
13. GSTसम्बन्धी अधिनियमों/नियमों की विस्तृत जानकारी वेबसाइट comtax.uk.gov.in तथा www.cbec.gov.in के GSTसम्बन्धी लिंक पर प्राप्त की जा सकती है। पंजीयन, TDS, रिटर्न या GSTसे सम्बन्धित किसी भी प्रावधान के संबंध में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अपने निकटतम राज्य कर के सहायक आयुक्त से संपर्क कर सकते हैं अथवा Help desk (टोल फ्री नं० 1800 274 2277) की भी सहायता ले सकते हैं।
14. कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि को इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, या अधिकृत बैंक शाखाओं में (Over the Counter (OTC) payment) के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी०एस०टी० के पोर्टल पर प्रपत्र: GST PMT-06 में तैयार किया जायेगा, जिसमें SGST, CGST, वाIGSTकी राशि अलग-अलग अंकित की जायेगी। ऐसे आहरण वितरण अधिकारी, जो देयकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सीधे कोषागार के माध्यम से करते हैं, वह टी०डी०एस० कटौती किये जाने योग्य देयक में से कटौती की धनराशि को छोड़ शेष धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में करवायेंगे तथा टी०डी०एस० की धनराशि को कोषागार से चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त चेक/ड्राफ्ट की धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी०डी०एस० के रूप में अधिकृत बैंक शाखा में ओवर द काउंटर (OTC) विधि से करवायेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः OTC विधि में एक चालान के माध्यम से अधिकतम रु० दस हजार की धनराशि जमा की जा सकती है, किन्तु सरकारी विभागों हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं है।

—: सरकारी विभागों के लिये स्रोत पर कर कटौती के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तरी :—

प्रश्न 1— दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू जी0एस0टी0 (एस0जी0एस0टी0 व सी0जी0एस0टी0 दोनों) प्रणाली के अन्तर्गत सरकारी विभाग/आहरण वितरण अधिकारियों के लिए क्या प्राविधान हैं।

उत्तर — जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या स्थापन (Establishment) या स्थानीय प्राधिकारी (Authority) या सभी सरकारी अभिकरणों(Agency) या ऐसे व्यक्तियों या व्यक्तियों के ऐसे प्रवर्ग (Category) जिसे विज्ञापित (Notify) किया जाए, द्वारा यदि किसी संविदा (Contract), जिसका मूल्य 2.50 लाख से अधिक है, के द्वारा सप्लायर को किये गये भुगतान पर टी0डी0एस0 काटकर राजकीय कोष में जमा कराना होगा। यह टी0डी0एस0 प्रान्त अन्दर से की गयी आपूर्ति पर 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 व 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 (कुल 2 प्रतिशत) व प्रान्त बाहर से की गयी आपूर्ति पर 2 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 के रूप में होगी।

प्रश्न 2— जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के यह प्राविधान सभी प्रकार की पूर्तियों पर लागू होंगे या सिर्फ कार्य संविदा पर लागू होंगे।

उत्तर— धारा 51(1) के प्राविधान में संविदा शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः यदि किसी को कर योग्य सप्लाय हेतु भी 2.50 लाख से अधिक का आदेश किया गया है तो ऐसे मामलों में भी भुगतान पर उक्तानुसार कटौती की जायेगी। अर्थात् कार्य चाहे कार्यसंविदा (Work Contract), कोई अन्य संविदा (Contract), किसी भी प्रकार माल या सेवा या दोनों की पूर्ति है, यह सभी पर लागू होगा।

प्रश्न 3— धारा 51(1) के अन्तर्गत की गयी कटौती के सम्बन्ध में क्या आपूर्तिकर्ता/संविदाकार को कोई प्रमाण पत्र भी जारी करना है।

उत्तर:— जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 (3) के अनुसार विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा आपूर्तिकर्ता/संविदाकार को कटौती किये जाने के व कटौती करने के पश्चात् राजकीय कोष में जमा करने के 5 दिन के अन्दर निर्धारित प्ररूप जी0एस0टी0आर0— 7A में प्रमाण पत्र जारी करना है। यदि उसके द्वारा यह प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है तो धारा 51 (4) के प्राविधानों के अन्तर्गत 100 रु0 प्रतिदिन जो अधिकतम रु0 5000 हो सकता है, विलम्ब शुल्क के रूप में जमा कराना होगा।

प्रश्न 4— यदि किसी मामले में कटौती कर धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं की जाती है तो जी0एस0टी0 अधिनियम में क्या प्राविधान हैं।

उत्तर— यदि विभाग द्वारा भुगतान में से कटौती कर धनराशि राजकीय कोष में जमा नहीं करायी जाती है तो यह धनराशि विभाग से ब्याज सहित वसूली जायेगी व धारा

122 (v) के अन्तर्गत रू0 10,000 या कटौती की राशि के बराबर जो भी अधिक हो, अर्थदण्ड का प्राविधान है।

प्रश्न 5— विभाग में 01 जुलाई, 2017 से पूर्व के बिल पेंडिंग हैं, क्या 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त भुगतान किये जाने पर उन पर भी कटौती की जायेगी।

उत्तर— 01 जुलाई, 2017 से पूर्व के बिलों पर भुगतान वैट प्रणाली के अनुसार किया जायेगा अर्थात् यदि यह भुगतान कार्य संविदा (वर्क कॉन्ट्रैक्ट) से सम्बन्धित है तो इस पर वैट अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार ही टीडीएस काटकर राजकीय कोष में जमा किया जाना है। यदि ये बिल सिर्फ सप्लाई से सम्बन्धित हैं तो इन पर कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 6— यदि किसी व्यक्ति द्वारा माल की सप्लाई न कर, सिर्फ सेवायें प्रदान की गयी हैं तो क्या उनमें भी कटौती होनी है।

उत्तर— जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत माल की सप्लाई व सेवा की सप्लाई के लिए एक ही प्राविधान है। यदि माल या सेवा या दोनों के लिये संविदा की धनराशि रू0 2.50 लाख से अधिक है तो उस सम्बन्ध में किये गये भुगतान पर जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51(1) के अन्तर्गत कटौती किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 7— पी0डब्ल्यू0डी0 जैसे विभाग में जो पुराने ठेके चल रहे हैं उनमें पूर्व में वाणिज्य कर विभाग द्वारा धारा 35 में कटौती के आदेश जारी किये गये हैं। अब उन कार्यों के लिये दिनांक 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रस्तुत बिलों पर उन आदेशों के अनुसार कटौती कर जमा किया जाना है या जी0एस0टी0 प्रणाली के अनुसार।

उत्तर— दिनांक 01 जुलाई, 2017 को जी0एस0टी0 प्रणाली लागू होने पर पूर्व के अधिनियम अर्थात् वैट अधिनियम के अन्तर्गत जारी धारा-35 का आदेश निष्प्रभावी हो गया है। अतः 01 जुलाई, 2017 के उपरान्त प्रस्तुत बिलों पर चाहे वो उससे पूर्व की संविदाओं एवं कार्यों से सम्बन्धित हों, के सम्बन्ध में कटौती जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी।

प्रश्न 8— जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 के अधीन क्या माह जुलाई और अगस्त में कटौती की जानी है।

उत्तर— वर्तमान में जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 को लागू नहीं किया गया है तथा इसे दो माह के लिए लागू नहीं किया जायेगा। अतः जब तक जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 लागू नहीं होती है तब तक किये गये भुगतान पर कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 9— जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 के लागू न होने पर क्या पुराने मामलों के भुगतान में वैट प्रणाली के अनुसार कटौती कर, धनराशि राजकीय कोष में जमा करनी है।

- उत्तर—** इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 51 लागू होने से पूर्व अर्थात् माह जुलाई व अगस्त में प्रस्तुत बिलों पर कोई कटौती नहीं की जानी है तथा उनका नियमानुसार बिना कटौती के भुगतान किया जाना है।
- प्रश्न 10—** धारा 51 के अन्तर्गत कटौती किये जाने हेतु जी0एस0टी0 प्रणाली के अन्तर्गत क्या पंजीयन भी लिया जाना है।
- उत्तर—** ऐसे सभी विभाग/आहरण वितरण अधिकारी जिनके द्वारा धारा 51(1) के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती की जानी है, के लिए जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 24(vi) के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है।
- प्रश्न 11—** यह पंजीयन किस प्रकार लिया जाना है, इसके लिये कितनी फीस देय होगी तथा पंजीयन हेतु फॉर्म कहां जमा कराया जाना है।
- उत्तर—** जी0एस0टी0 अधिनियम के अन्तर्गत स्रोत पर कटौती हेतु पंजीयन लेने के लिये जी0एस0टी0 पोर्टल पर फॉर्म जी0एस0टी0 आर0ई0जी0 07 में ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जी0एस0टी0 पोर्टल पर जो भी आवश्यकता है अर्थात् जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है वह स्कैनिंग द्वारा अपलोड किये जायेंगे। आवेदन पत्र पूर्ण रूप से ऑनलाइन जमा कराना है। आवेदन देने के 03 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से पंजीयन (जी0एस0टी0आइ0एन0) प्राप्त हो जायेगा यदि प्रार्थना पत्र में कोई कमी न पायी गयी हो व कमियों को सूचित न किया गया हो। इस हेतु न तो कोई फीस जमा की जानी है तथा न ही कोई मैनुअल फॉर्म जमा कराना है।
- प्रश्न 12—** यह पंजीयन कब तक लिया जाना है।
- उत्तर —** किसी भी मामले में विभाग के स्रोत पर कटौती के दायी (Liable) होने के 30 दिन के भीतर पंजीयन अनिवार्य रूप से लिया जाना है। वर्तमान में पंजीयन हेतु जी0एस0टी0एन0 पोर्टल पर यह सुविधा 25 जुलाई, 2017 से उपलब्ध हो जायेगी।
- प्रश्न 13—** यदि किसी विभाग/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पंजीयन नहीं लिया जाता है तो क्या कार्यवाही होगी।
- उत्तर—** यदि विभाग द्वारा कोई 2.50 लाख से ऊपर की संविदा का भुगतान किया जाता है एवं धारा 51(1) के अन्तर्गत कटौती की जाती है तो जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीयन लिया जाना अनिवार्य है। यदि बिना पंजीयन लिये भुगतान किया जाता है तो कटौती की गयी राशि राजकीय कोष में जमा नहीं करायी जा सकेगी। ऐसी स्थिति में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी अर्थदण्ड के भागी होंगे।
- प्रश्न 14—** यदि किसी भुगतान पर कटौती नहीं की जाती है तो क्या कार्यवाही होगी।
- उत्तर—** यदि किसी भुगतान पर कटौती नहीं की जाती है तो जी0एस0टी0 अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत विभाग/आहरण वितरण अधिकारी से कटौती के बराबर या रू0 10,000 जो भी अधिक हो, धनराशि वसूली जा सकता है।

प्रश्न 15— यदि 2.50 लाख से ऊपर की संविदा के सम्बन्ध में भुगतान अलग-अलग अर्थात् 2.50 लाख से कम की राशि में कई बार किया जाता है तो क्या उसमें भी कटौती की जायेगी।

उत्तर— यदि संविदा 2.50 लाख से अधिक की है तो चाहे भुगतान 2.50 लाख से कम की कई किश्तों में अलग-अलग किया गया हो तो भी कटौती किया जाना अनिवार्य है।

प्रश्न 16— किन मामलों में कटौती को एस0जी0एस0टी0 व सी0जी0एस0टी0 के रूप में जमा करना है तथा किन मामलों में आई0जी0एस0टी0 के रूप में जमा करना है।

उत्तर — यदि किसी संविदाकार द्वारा पूर्ति प्रान्त अन्दर से की जाती है तो उस मामले में 1 प्रतिशत सी0जी0एस0टी0 तथा 1 प्रतिशत एस0जी0एस0टी0 कटौती कर जमा किया जायेगा। किन्तु यदि पूर्ति प्रान्त बाहर से की जाती है तो ऐसी स्थिति में कटौती आई0जी0एस0टी0 के रूप में 2 प्रतिशत की जानी है किन्तु यदि पूर्तिकार (Supplier) व पूर्ति का स्थान (Location) का राज्य, विभाग के पंजीयन वाले राज्य से भिन्न है, ऐसी स्थिति में कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 17— क्या विभाग/आहरण वितरण अधिकारी को रिटर्न भी दाखिल करनी है।

उत्तर — जिन विभागों/आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा जिन माहों में टी0डी0एस0 कटौती की गयी है उस माह के अगले माह की 10 तारीख तक जी0एस0टी0आर0-7 में जी0एस0टी0 पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से रिटर्न दाखिल की जानी है।

प्रश्न 18— विभाग द्वारा किस धनराशि पर टी0डी0एस0 कटौती की जानी है।

उत्तर — कर की राशि को छोड़ते हुये शेष धनराशि पर टी0डी0एस0 की कटौती की जानी है।

प्रश्न 19— क्या स्थानीय प्राधिकारी को अधिनियम के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है।

उत्तर — हां, स्थानीय प्राधिकारी में कौन-कौन शामिल होगा, उसे सी0जी0एस0टी0 और एस0जी0एस0टी0 की धारा 2 की उपधारा (69) में परिभाषित किया गया है।

प्रश्न 20— क्या करमुक्त माल व सेवा की आपूर्ति करने पर स्रोत पर कटौती की जानी है।

उत्तर— नहीं, केवल कराधेय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने पर ही कटौती की जानी है।

प्रश्न 21— कृपया बतायें कि जी0एस0टी0 में पंजीयन हेतु, रिटर्न दाखिल करने हेतु या अन्य कार्य हेतु किस वेबसाइट पर कार्य किया जाना है।

उत्तर— www.gst.gov.in

प्रश्न 22— क्या पंजीयन, रिटर्न स्वयं आहरण वितरण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है।

उत्तर— स्वयं प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि स्वयं प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं तो आयुक्त कर द्वारा विज्ञापित सेवा कर व्यवसायी (GST Practitioner) के माध्यम से दाखिल किया जा सकता है।

प्रश्न 23— क्या सेवा कर व्यवसायी को कोई भुगतान करना पड़ेगा। यदि हां तो कितना।

उत्तर— हां। भुगतान की राशि विभाग द्वारा निर्धारित नहीं है। आपसी सहमति पर निर्धारित करके कटौतीकर्ता द्वारा भुगतान किया जायेगा।

प्रश्न 24— माल व सेवा की आपूर्ति रू0 5,00,000 है तथा उस पर 18 प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 रू0 90,000 प्रभारित है अर्थात् कुल इन्वाइस रू0 5,90,000 की है तो टी0डी0एस0 किस राशि पर कटेगा।

उत्तर— टी0डी0एस0 की राशि कर के अंश को छोड़ते हुये, रू0 5,00,000 पर 2 प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।

प्रश्न 25— पंजीयन लेने के उपरान्त क्या पंजीयन संशोधन किया जा सकता है।

उत्तर— हां। ऑनलाइन जी0एस0टी0आर0 आर0ई0जी0 14 पर आवेदन, घटना घटित होने के 15 दिन के अन्दर प्रस्तुत करना होगा।

प्रश्न 26— कटौती की गई टी0डी0एस0 की धनराशि को राजकोष में जमा किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर — कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि को इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, या अधिकृत बैंक शाखाओं में (Over the Counter (OTC) payment) के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी0एस0टी0 के पोर्टल पर प्रपत्र: GST PMT-06 में तैयार किया जायेगा, जिसमें SGST, CGST, व IGST की राशि अलग-अलग अंकित की जायेगी। ऐसे आहरण वितरण अधिकारी, जो देयकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सीधे कोषागार के माध्यम से करते हैं, वह टी0डी0एस0 कटौती किये जाने योग्य देयक में से कटौती की धनराशि को छोड़ शेष धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में करवायेंगे तथा टी0डी0एस0 की धनराशि को कोषागार से चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त चेक/ड्राफ्ट की धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी0डी0एस0 के रूप में अधिकृत बैंक शाखा में ओवर द काउंटर (OTC) विधि से करवायेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः OTC विधि में एक चालान के माध्यम से अधिकतम रू0 दस हजार की धनराशि जमा की जा सकती है, किन्तु सरकारी विभागों हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं है।

प्रश्न 27— जी0एस0टी0 से सम्बन्धित अधिनियम, नियम व फॉर्म की जानकारी कहां से प्राप्त की जा सकती है।

उत्तर— जी0एस0टी0 अधिनियम, नियम व फॉर्म की जानकारी उत्तराखण्ड वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट www.comtax.uk.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त इसे सी0बी0ई0सी0 की वेबसाइट www.cbec.gov.in पर भी देखा जा सकता है। चूंकि जी0एस0टी0 पूरे देश में एक समान रूप से लागू है। अतः अन्य राज्यों के वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

—: कार्य संविदाकारों के लिये जी0एस0टी0 में प्राविधानों के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तरी :-

प्रश्न 1—

जी0एस0टी0 में कार्य संविदा को किस प्रकार परिभाषित किया गया है।

उत्तर—

जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (119) में कार्य संविदा को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है —

“कार्य संविदा” से जहां ऐसी संविदा के निष्पादन में माल के रूप में संपत्ति के अंतरण (चाहे वह माल या किसी अन्य रूप में हो) में संपत्ति का अंतरण अंतर्बलित है, किसी स्थावर संपत्ति का निर्माण, सन्निर्माण, रचना करने, पूरा करने, परिनिर्माण, संस्थापन, सज्जित करने, सुधारने, उपांतरण करने, मरम्मत करने, अनुरक्षण करने, नवीकरण करने, परिवर्तन करने या बनाने के लिए कोई संविदा अभिप्रेत है;

“works contract” means a contract for building, construction, fabrication, completion, erection, installation, fitting out, improvement, modification, repair, maintenance, renovation, alteration or commissioning of any immovable property wherein transfer of property in goods (whether as goods or in some other form) is involved in the execution of such contract;

प्रश्न 2—

कार्य संविदाकार द्वारा किये जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में कर की दर किस प्रकार निर्धारित की गयी है।

उत्तर—

कार्य संविदा को जी0एस0टी0 में सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है तथा कार्य संविदा के सम्बन्ध में कर की दर निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित की गयी है—

Sl. No	Chapter, Section or Heading	Description or Service	SGST	CGST	IGST
	Heading 9954 (Construction services)	(i) Construction of a complex, building, civil structure or a part thereof, including a complex or building intended for sale to a buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issuance of completion certificate, where required, by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. (Provisions of paragraph 2 of this notification shall apply for valuation of this service)	9 %	9%	18%
		(i) composite supply of works contract as defined in clause 119 of section 2 of Central Goods and Services Tax Act, 2017.	9 %	9%	18%

	(i) construction services other than (i) and (ii) above.	9%	9%	18%
--	--	----	----	-----

प्रश्न 3— कार्य संविदाकार को जी०एस०टी० में किस प्रकार से कर अदा करना है।

उत्तर — कार्य संविदा को जी०एस०टी० में सेवा के रूप में माना गया है। अतः कार्य संविदाकार को सामान्य करदाता के रूप में ही जी०एस०टी०आई०एन० प्राप्त करके मासिक रूप से रिटर्न दाखिल करनी होंगी तथा कर जमा करना होगा।

प्रश्न 4— वैट प्रणाली में कार्य संविदा में आई०टी०सी० का लाभ नहीं दिया जाता था किन्तु कर निर्धारण के समय मजदूरी व प्रान्त अन्दर पंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल का लाभ देने के उपरान्त कर का निर्धारण होता था। जी०एस०टी० प्रणाली में इस सम्बन्ध में क्या प्राविधान हैं।

उत्तर— जी०एस०टी० प्रणाली में कार्य संविदाकार को सामान्य करदाता के रूप में माना गया है। अतः उनके द्वारा प्राप्त भुगतान पर कर का आकलन किया जाएगा तथा पंजीकृत व्यापारियों से उनके द्वारा जो भी (प्रान्त अन्दर या प्रान्त बाहर दोनों) खरीद की गयी है उस पर जो भी कर अदा किया गया है उसका आई०टी०सी० के रूप में लाभ लेते हुये शेष कर राजकीय कोष में जमा कराया जाएगा।

प्रश्न 5— कार्य संविदाकार को अपंजीकृत व्यापारी से भी खरीद करनी पडती है, ऐसे में अपंजीकृत व्यापारी से खरीद पर कर की स्थिति क्या होगी।

उत्तर— किसी कार्य संविदाकार द्वारा ऐसी वस्तुएं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आर०सी०एम०) के रूप में प्राप्तिकर्ता द्वारा कर अदा किये जाने का प्राविधान है, के सम्बन्ध में खरीद पर नियमानुसार कर अदा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त वस्तुओं से भिन्न किसी वस्तु की किसी दिन रु० 5000 से अधिक की खरीद की जाती है तो उस पर भी कर अदा करना पडेगा। यदि इस वस्तु का अंतरण (चाहे वह माल या अन्य रूप में हो) कार्य संविदा में किया जाता है, तो इस प्रकार अदा कर का आई०टी०सी० के रूप में लाभ मिलेगा।

प्रश्न 6— पूर्व में वैट अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्य संविदाकारों के लिए समाधान योजना लागू थी। जी०एस०टी० प्रणाली में क्या किसी प्रकार की समाधान योजना है।

उत्तर — जी०एस०टी० प्रणाली में कार्य संविदाकारों के लिए किसी प्रकार की समाधान योजना नहीं है। कार्य संविदाकारों को सामान्य करदाताओं की तरह कर अदा करना है।

प्रश्न 7— क्या कार्य संविदा में प्रान्त बाहर से खरीदे गये माल पर अदा कर का आई०टी०सी० के रूप में लाभ मिलेगा।

उत्तर— कार्य संविदाकार को प्रान्त बाहर से खरीदे गये माल पर अदा किये गये कर का आई०टी०सी० के रूप में लाभ मिलेगा।

प्रश्न 8— जी०एस०टी० लागू होने से पूर्व की संविदाओं पर वैट अधिनियम के अन्तर्गत समाधान योजना का विकल्प लिया गया था। ऐसे कुछ मामलों में अभी भी कार्य चल रहा है। अतः क्या पूर्व की समाधान योजना का लाभ जी०एस०टी० प्रणाली में भी मिलेगा।

उत्तर — दिनांक 01 जुलाई, 2017 से जी०एस०टी० प्रणाली लागू होते ही पूर्व के वैट प्रणाली के समाधान योजना के आदेश निष्प्रभावी हो गये हैं। अतः 01 जुलाई, 2017 से पूर्व की समाधान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न 9— कार्य संविदा के सम्बन्ध में पूर्व में विभाग जैसे पी०डब्ल्यू०डी० विभाग द्वारा नियमित रूप से टी०डी०एस० कटौती की जाती थी। इस हेतु वैट अधिनियम की धारा-35 के अन्तर्गत भी कम दर पर टी०डी०एस० काटने हेतु आदेश किये गये थे। इन आदेशों की अब क्या स्थिति रहेगी।

उत्तर— दिनांक 01 जुलाई, 2017 से पूर्व के इस प्रकार के आदेश निष्प्रभावी हो गये हैं। दिनांक 01 जुलाई, 2017 से टी०डी०एस० जी०एस०टी० अधिनियम की धारा 51 के अनुसार काटा जाएगा। धारा 51 के अनुसार रू० 2.50 लाख से अधिक की संविदा पर 2 प्रतिशत (1 प्रतिशत एस०जी०एस०टी० व 1 प्रतिशत सी०जी०एस०टी० या 2 प्रतिशत आई०जी०एस०टी०) की कटौती की जानी है। किन्तु वर्तमान में इस धारा को लागू नहीं किया गया है अतः धारा 51 के लागू होने तक कोई कटौती नहीं की जानी है।

प्रश्न 10— विभाग द्वारा जो कटौती की जायेगी क्या उसका लाभ आई०टी०सी० के रूप में देय होगा।

उत्तर— कार्य संविदा के सम्बन्ध में किये जा रहे भुगतान के सम्बन्ध में जो भी कटौती विभाग द्वारा की जायेगी उसका लाभ आई०टी०सी० के रूप में संविदाकार को प्राप्त होगा। एस०जी०एस०टी० के रूप में काटी गयी धनराशि का लाभ एस०जी०एस०टी० या आई०जी०एस०टी० के भुगतान में ही मिलेगा। सी०जी०एस०टी० के रूप में काटी गयी धनराशि का लाभ सी०जी०एस०टी० व आई०जी०एस०टी० के भुगतान में मिलेगा। आई०जी०एस०टी० के रूप में काटी गयी धनराशि का लाभ आई०जी०एस०टी०, एस०जी०एस०टी० या सी०जी०एस०टी० तीनों के भुगतान में मिलेगा।

प्रश्न 11— कुछ ठेकेदारों द्वारा 30 जून 2017 से पूर्व विभाग के समक्ष बिल प्रस्तुत कर दिये गये थे किन्तु उनका भुगतान 01 जुलाई, 2017 के बाद हुआ है ऐसे भुगतान पर कर की स्थिति क्या होगी।

उत्तर — जिन मामलों में 30 जून, 2017 तक बिल प्रस्तुत कर दिये गये थे उनमें वैट के प्राविधानों के अनुसार कर अदा किया जाना है एवं जिन मामलों में 01 जुलाई 2017 को या उसके बाद बिल प्रस्तुत किये गये हैं उनमें जी०एस०टी० अधिनियम के अनुसार कर अदा किया जायेगा।

प्रश्न 12— कटौती की गई टी०डी०एस० की धनराशि को राजकोष में जमा किस प्रकार किया जायेगा।

उत्तर —

कटौतीकर्ता आहरण वितरण अधिकारी द्वारा स्रोत पर की गयी कर की कटौती की धनराशि को इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, RTGS, या अधिकृत बैंक शाखाओं में (Over the Counter (OTC) payment) के माध्यम से राजकोष में जमा किया जायेगा। कटौती की धनराशि को जमा करने हेतु चालान जी0एस0टी0 के पोर्टल पर प्रपत्र: GST PMT-06 में तैयार किया जायेगा, जिसमें SGST, CGST, व IGST की राशि अलग-अलग अंकित की जायेगी। ऐसे आहरण वितरण अधिकारी, जो देयकों के सापेक्ष भुगतान की कार्यवाही सीधे कोषागार के माध्यम से करते हैं, वह टी0डी0एस0 कटौती किये जाने योग्य देयक में से कटौती की धनराशि को छोड़ शेष धनराशि का भुगतान सीधे आपूर्तिकर्ता के खाते में करवायेंगे तथा टी0डी0एस0 की धनराशि को कोषागार से चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से प्राप्त कर लेंगे। प्राप्त चेक/ड्राफ्ट की धनराशि को निर्धारित समय सीमा के अन्दर टी0डी0एस0 के रूप में अधिकृत बैंक शाखा में ओवर द काउंटर (OTC) विधि से करवायेंगे। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सामान्यतः OTC विधि में एक चालान के माध्यम से अधिकतम रु0 दस हजार की धनराशि जमा की जा सकती है, किन्तु सरकारी विभागों हेतु यह प्रतिबंध लागू नहीं है।

प्रश्न 13—

संविदी विभाग द्वारा आपूर्त सीमेंट, सरिया की राशि कुल भुगतान में से कम की गयी है, क्या इस पर आई0टी0सी0 प्राप्त होगा।

उत्तर —

आई0टी0सी0 प्राप्त होगा।

जिसे सीमेंट सरिया की राशि काटी गयी है उस माल के मूल्य के लिए सम्बन्धित संविदी से धारा 31 के अन्तर्गत जारी टैक्स इन्वाइस प्राप्त करना है जिस पर कर प्रभारित होगा।

प्रश्न 14—

क्या संविदाकार को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता से की गयी खरीद का इन्द्राज स्वयं करना होगा।

उत्तर—

नहीं, विक्रेता/सरकारी विभाग जावक आपूर्ति (आउट वर्ड सप्लाय) स्वयं जी0एस0टी0आर0-1 में प्रविष्टि करेंगे जो कि आटोमेटिक आपकी खरीद या इनपुट क्रेडिट में प्रदर्शित हो जायेगी।

प्रश्न 15—

यदि सरकारी विभाग सीमेंट, सरिया की राशि की कटौती भुगतान के समय करते हैं परन्तु टैक्स इन्वाइस जारी नहीं करते हैं तो उस दशा में संविदाकारों द्वारा क्या किया जाएगा।

उत्तर —

आई0टी0सी0 का लाभ नहीं मिलेगा।

प्रश्न 16—

विभाग द्वारा टी0डी0एस0 कटौती के पश्चात् कटौती प्रमाण पत्र कब तक निर्गत किया जायेगा।

उत्तर—

विभाग द्वारा कटौती प्रमाण पत्र, कटौती किये जाने के 5 दिनों के भीतर जारी किया जाएगा।

प्रश्न 17—

किसी कारण टैक्स जमा में विलम्ब होने पर ब्याज की दर क्या होगी।

उत्तर— स्वीकृत कर विलम्ब से जमा होने की दशा में 18 प्रतिशत की दर से प्रति वर्ष ब्याज देनदारी होगी।

प्रश्न 18— क्या टैक्स कैश में जमा हो पायेगा।

उत्तर — एक माह में अधिकतम रु० 10,000 कैश अथवा चैक अथवा डी०डी० के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। शेष कर इन्टरनेट अथवा डेबिट-क्रेडिट कार्ड अथवा एन०ई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० से जमा कराना होगा। केश जमा करने हेतु चालान जी०एस०टी० पोर्टल से जनरेट कर जमा करना होगा।